

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा0/71/2016-1/192/2016

लखनऊ: दिनांक 21 जुलाई, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 05 जनपदों के 10-10 ग्राम पंचायतों में से 05 डॉ० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम के तथा 05 अन्य ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों हेतु स्नानागृह के निर्माण के लिए रू०-107190105/- धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-34/2016/1938/33-3-2015-100(11)/2015 दिनांक 20 जुलाई, 2016 (छायाप्रति संलग्न) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 05 नये जनपदों यथा बांदा, हमीरपुर, महोबा, बस्ती एवं मिर्जापुर के 10-10 ग्राम पंचायतों में से 05 डॉ० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम के तथा 05 अन्य ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों हेतु स्नानागृह के निर्माण के लिए आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू०-1072.00 लाख के सापेक्ष रू०-107190105/- (रूपया दस करोड़ इकहत्तर लाख नब्बे हजार एक सौ पांच मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) के अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 एवं शासनादेश संख्या-2789/33-3-2015-100(11)/2015 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
2. उक्तानुसार आवंटित धनराशि/जनपदवार आवंटित परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
3. उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
4. इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनार्थे परीक्षण/सत्यापन हेतु लेखा एवं बजट अनुभाग को उपलब्ध करायी जाय।
5. भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्थानुसार उक्त अवमुक्त धनराशि को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोमतीनगर, लखनऊ में उ०प्र० स्टेट सैनीटेशन मिशन (एस०एस०एम०) के नाम से खोले गये खाता संख्या-521302010080034 आई०एफ०एस०सी० कोड यू०बी०आई०एन०-0552135 में जमा किया जायेगा।
6. शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

7. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0-4 पर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैन्युअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
8. उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।
9. धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुए किया जायेगा।
10. व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उपरोक्त 05 जनपदों में स्नानागार निर्माण हेतु चिन्हित ग्रामों में स्नानागार निर्माण की भौतिक सत्यापन/स्थलीय निरीक्षण विकास कार्यों की समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारी से कराया जायेगा। जिसकी प्रगति आख्या माह के अन्त में शासन/निदेशालय को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा। निर्मित स्नानागार की दीवाल पर लाभार्थी का नाम पता योजना आदि का विवरण अंकित होगा एवं उसके साथ लाभार्थी का फोटो निर्मित स्नानागार के साथ अपलोड किया जायेगा।
12. उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-101-पंचायती राज-16-स्नानगृह का निर्माण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायगा।
13. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।
14. धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,
(अनिल कुमार दमले)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या:1/शा0/ /1/2016 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद-211001.
4. उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद बांदा, हमीरपुर, महोबा, बस्ती एवं मिर्जापुर।
7. उप निदेशक(पं0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 उप निदेशक(पं0)/योजना प्रभारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस निर्देश के प्रेषित कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 20.07.2016 में दिये गये निर्देशानुसार उक्त योजनान्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को वितरित की जाने वाली धनराशि की जनपदवार फॉट की एक प्रति लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही उक्त शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही करें।
8. एस0पी0एम0यू0 सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

प्रेषक,
महेन्द्र कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

1277
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

सेवा में,
निदेशक,
पंचायती राज,
उ०प्र०, लखनऊ।

निदेशक
21/7/16

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 20 जुलाई, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 05 जनपदों के 10-10 ग्राम पंचायतों में से 05 डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम के तथा 05 अन्य ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों हेतु स्नानागृह के निर्माण के लिए धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/2588/2016-5/117/2016, दिनांक 13 जुलाई 2016 एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 के क्रम में तथा शासनादेश संख्या- 2789/33-3-2015-100(11)/2015 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 05 नए जनपदों यथा बांदा, हमीरपुर, महोबा, बस्ती एवं मिर्जापुर का चयन किया गया है। उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु० 1072.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रु० 107190105/- (रु० दस करोड़ इकहत्तर लाख नब्बे हजार एक सौ पांच मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 एवं शासनादेश संख्या- 2789/33-3-2015-100(11)/2015 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपदवार आवंटित परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तों, प्रतिबंधों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृति की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन(एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हेण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनार्थ परीक्षण/सत्यापन हेतु पंचायती राज विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

(5) भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोमतीनगर, लखनऊ में उ०प्र० स्टेट सैनीटेशन मिशन (एस०एस०एम०) के नाम से खोले गये खाता संख्या- 521302010060034 आई०एफ०एस०सी० कोड यू बी आई एन 0552135 में जमा किया जायेगा।

सा जी रजिस्ट्रार
21/7/16
CBAD

(6) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मि-1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(8) उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

(9) धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुए किया जायेगा।

(10) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों/ प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) उपरोक्त 05 जनपदों में स्नानागार निर्माण हेतु चिन्हित ग्रामों में स्नानागार निर्माण की भौतिक सत्यापन/स्थलीय निरीक्षण विकास कार्यों की समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारी से कराया जायेगा जिसकी प्रगति आख्या माह के अन्त में शासन/निदेशालय को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा। निर्मित स्नानागार की दीवाल पर लाभार्थी का नाम पता योजना आदि का विवरण अंकित होगा एवं उसके साथ लाभार्थी का फोटो निर्मित स्नानागार के साथ अपलोड किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक"2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत- 101- पंचायती राज-16- स्नानगृह का निर्माण- 20- सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त 1-अनुभाग (यकव्य-आय)के कार्यालय ज्ञाप संख्यादस/746-1-बी/2016/1 -- 2016-231/2016 दिनांक 2016 मार्च 22में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
22/3/16
(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- बांदा, हमीरपुर, महोबा,बस्ती एवं मिर्जापुर जनपद के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी।
- 4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
- 6- एन0आई0सी0 की प्रति।
- 7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त(बजट) अनुभाग-2
- 8- गाई फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-22/07/2016

प्रेषण संख्या:- 1-sha-71-2016-1-192-2016
आवंटन आदेश संख्या:- 001-192-2016
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)
101 - पंचायती राज
16 - स्नानगृह का निर्माण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, 30प्र0, लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	107190105 107190105	107190105 107190105
	योग	वर्तमान प्रगामी	107190105 107190105	107190105 107190105

महायोग- (वर्तमान

आवंटन):-

रुपया दस करोड़ इकत्तर लाख नब्बे हजार एक सौ पाँच

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया दस करोड़ इकत्तर लाख नब्बे हजार एक सौ पाँच

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी